

706/m

के कारण
पीडासीन
पत्रावली

16/8/22

लेह

16.08.2022:- आज यह पत्रावली पेशी में आई। प्रार्थी प्रार्थी अधिवक्ता
उपस्थित नहीं आये। प्रार्थी व अप्रार्थीगण का मूल वादपत्र में
अदम पैरवी / अदम हाजरी में खारिज हो चुका है। मूल वादी
पत्र खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र 212 आर.टी.ए में कोई
कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है। इस कारण प्रार्थी का उक्त
प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया किया जाता है। पत्रावली नम्बर से
कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो

Web Copy - Not Official



सहायक कलेक्टर
उपखण्डाधिकारी
मानसरोवर